राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 636/2025

मौसमी कुमारी धाकड़ **–अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, चिकित्सा एवं कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.04.2025
आदेश की दिनांक : 17.04.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री वी. एस. भावला, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर मेडिकल कॉलेज झालावाड़ में वर्ष 2018 में हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.06.2022 के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया गया। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी पूर्व में आवश्यक अस्थाई आधार (यूटीबी) पर कार्य कर रहा था। तत्पश्चात् अपीलार्थी को दिनांक 28.04.2020 को नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर नियमित रूप से नियुक्त किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 2 के आदेश दिनांक 05.08.2020 के द्वारा अपीलार्थी को 7 दिवस के भीतर ही कोविड–19 आपदा के लिए कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन अपीलार्थी ने कार्यग्रहण नहीं किया। तत्पश्चात् दिनांक 17.08.2020 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सीएमएचओ, भीलवाड़ा में किया गया परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोविड–19 आपदा के कारण उसे सीएमएचओ, झालावाड़ पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 13.02.2025 (अनुलग्नक–4) को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष पारिवारिक समस्याओं को बताते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसका पदस्थापन/स्थानांतरण मथुरादास माथुर चिकित्सालय,

जोधपुर से महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाडा/आरबीआरएस राजकीय मेडिकल कॉलेज , भीलवाड़ा में रिक्त पद पर पदस्थापन/स्थानांतरण करने का आग्रह किया।

3. अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर से महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाडा/आरबीआरएस राजकीय मेडिकल कॉलेज , भीलवाड़ा में रिक्त पद पर पदस्थापन/स्थानांतरण करने आदेश फरमाया जावे।

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया ।

5. प्रकरण के तथ्य, अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी का प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई स्थानांतरण/पदस्थापन किया गया हो, ऐसा कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है। नियोक्ता को विशेषाधिकार है कि वह राज्य कर्मी की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकता में किस स्थान पर ले। किसी भी कार्मिक को स्थान विशेष पर पदस्थापित होने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी को किसी प्रकार का कोई वाद हेतुक (cause of action) उत्पन्न होना अभिलेख से दर्शित नहीं है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए उसकी यह अपील ग्राह्य किये जाने योग्य नहीं है और इस कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही मय स्थगन प्रार्थना–पत्र खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य